न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

1. प्रकरण संख्या 24 / 2015 (राजसमन्द डिक्री)

1. पृथ्वीराज पिता नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. अम्बालाल पिता नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रामलाल पिता नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. शंकर पिता वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. छोगालाल पिता वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. गणेश पिता वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मु॰ चांदी बेवा वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. दलीचन्द पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सोला पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बद्रीलाल पिता केला जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. अम्बालाल पिता केला जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. लेहरूलाल पिता केला जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती दाखीबाई पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती गंगाबाई पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

8. जगदीश पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. सोहन पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. हेमराज पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. प्रकाश पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
12. जमना पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. मीना पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
14. नोसर पत्नी स्व. हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
15. ममता पिता हजारी जी, नाबालिग बविलायत भाई जगदीश पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
16. शंकरी पत्नी बद्रीलाल जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
17. नन्दसिंह पिता मानसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
18. हरिसिंह पिता मानसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
19. विष्णा पुत्री शम्भुसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
20. शन्या पुत्री शम्भुसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
21. तेजसिंह पिता कालूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
22. गणपतसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
23. कुन्दनसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
24. निर्भयसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

25. नवलसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
26. घीसू कुंवर पत्नी मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
27. शिवसिंह पिता कालूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
28. मगनी पुत्री वक्तावरी बेवा नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
29. शंकर पिता मगना जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
30. रतनलाल पिता ब्रदीलाल जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
31. श्रीमती मांगीबाई बेवा बद्रीलाल जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
32. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

2. प्रकरण संख्या 25/2015 (राजसमन्द डिक्री)

1. पृथ्वीराज पिता नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. अम्बालाल पिता नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रामलाल पिता नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. शंकर पिता वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. छोगालाल पिता वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. गणेश पिता वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. मु॰ चांदी बेवा वरदा जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. दलीचन्द पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. सोला पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. बद्रीलाल पिता केला जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. अम्बालाल पिता केला जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. लेहरूलाल पिता केला जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती दाखीबाई पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती गंगाबाई पिता सवाईराम जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. जगदीश पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. सोहन पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
10. हेमराज पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. प्रकाश पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
12. जमना पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. मीना पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
14. नोसर पत्नी स्व. हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
15. ममता पिता हजारी जी, नाबालिग बविलायत भाई जगदीश पिता हजारी जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
16. शंकरी पत्नी बद्रीलाल जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

17. नन्दसिंह पिता मानसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

18. हरिसिंह पिता मानसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

19. विष्णा पुत्री शम्भुसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

20. शन्या पुत्री शम्भुसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

21. तेजसिंह पिता कालूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

22. गणपतसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

23. कुन्दनसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

24. निर्भयसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.

25. नवलसिंह पिता मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

26. घीसू कुंवर पत्नी मूलसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

27. शिवसिंह पिता कालूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

28. मगनी पुत्री वक्तावरी बेवा नानजी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

29. शंकर पिता मगना जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

30. रतनलाल पिता ब्रदीलाल जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

31. श्रीमती मांगीबाई बेवा बद्रीलाल जी, जाति जाट, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

32. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा दरीबा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
प्रारम्भिक डिक्री उपखण्ड अधिकारी,
रेलमगरा, दिनांक 22–07–2013 व
अंतिम डिक्री दिनांक 18–06–2015

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री प्रकाश चन्द्र पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 33

———::———

निर्णय दिनांक 11–04–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 द्वारा एक वाद विभाजन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित ग्राम सरवडिया की खेड़ी के खाता संख्या 149 की कुल किता 6 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा में वादीगण का 1/3, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 38 की किता 3 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में वादीगण 1 से 6 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 7 से 18 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 19 का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खाता संख्या 130 की किता 5 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा में वादीगण संख्या 1 से 6 का 1/3, प्रतिवादी संख्या 20 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 21 व 22 का 1/12, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या से 2 से 5 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पिता का देहान्त हो चुका है, प्रतिवादी संख्या 9 से 11 के पिता का भी देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 13 से 16 के पिता व 17 के पति का भी देहान्त हो चुका है, परन्तु इन्तकाल वारिसान के नाम नहीं खुला है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 19 की माता का भी देहान्त हो चुका है, जिसके प्रतिवादी संख्या 19 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। इसलिए इनको प्रतिवादी बनाया गया है। उक्त भूमियों का अभी विभाजन नहीं हुआ है, जिससे पक्षकारों को असुविधा होती है। अतएवं उक्त भूमियों का विधिवत विभाजन किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण अनुपस्थिति रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा वादी की साक्ष्य लेकर दिनांक 22–07–2013 को प्रकरण संख्या 111/2012 में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–08–2015 को पेश की गयी।

प्रकरण में प्राप्त विभाजन प्रस्तावों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने प्रकरण संख्या 63/2014 में दिनांक 18–06–2015 को अंतिम डिक्री जारी की, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–08–2015 को पेश की गयी।

उपरोक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु समान हैं अतएवं दोनों अपीलों का हम एक साथ–निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली में संलग्न रहे।

सर्वप्रथम हम प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 24/2015 का निर्णय करना उचित समझते हैं। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 5 नियम 17 के अनुसार न तो कोई सम्मन भेजा है न ही निर्णय की कोई सूचना दी गयी है। उक्त निर्णय का ज्ञान जून 2015 के अंतिम सप्ताह में तहसील के कर्मचारी के पूछताछ करने पर हुआ। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अपील देरी से पेश करने का पर्याप्त एवं उचित कारण है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा उक्त दफा 5 के आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट संख्या 1 का सम्मन ही उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलान्ट संख्या 1 को सम्मन जारी ही नहीं हुआ है। जहां तक अपीलान्ट संख्या 2 का प्रश्न है, उसे अधिनस्थ न्यायालय से दिनांक 06–11–2012 को दिनांक 26–11–2012 के लिए जारी सम्मन उसे विधिक

रूप से तामिल हुआ है तथा अपीलान्ट संख्या 3 का सम्मन अपीलान्ट संख्या 2 जो उसका भाई है, के द्वारा प्राप्त किया गया है। जहां तक अपीलान्ट संख्या 4 से 7 का प्रश्न है, उसके पूर्वज प्रतिवादी संख्या 2 वरदा को जारी सम्मन अपीलान्ट संख्या 4 जो वरदा का पुत्र है, ने प्राप्त किया है तथा दफा 5 जाब्ता मियाद के आवेदन व शपथ पत्र पर उसी के हस्ताक्षर हैं। इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि प्रतिवादी संख्या 2 वरदा, जिसके वारिसान अपीलान्ट संख्या 4 से 7 हैं, उसके सम्मन उसके पुत्र शंकर स्वयं द्वारा प्राप्त किये गये हैं, तो अब वह अपील स्तर पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहता है कि उसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना नहीं दी गयी, स्पष्टतया अपीलान्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य सभी अपीलान्ट को विधिवत सम्मन तामिल हुए हैं। तद्नुसार प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील जो करीब 2 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, कण्डोन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा इस अपील के सन्दर्भ में यह उजर लिया गया कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा कतिपय पक्षकारान वरदा की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी नामकायमी नहीं करवायी गयी है। प्रकरण में अपीलान्ट शंकर द्वारा अपने पिता वरदा का सम्मन स्वयं प्राप्त करते समय अपने पिता की मृत्यु की सूचना नहीं दी गयी है, तद्नुसार अपीलान्ट संख्या 4 द्वारा मिथ्या शपथ पत्र दिया गया है तथा मिथ्या शपथ पत्र देने के कारण हम अपीलान्ट के इस आचरण की भर्त्सना करते हैं तथा मिथ्या शपथ पत्र के आधार पर अपील प्रथम दृष्टया मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, हम यह विवेचना करना उचित समझते हैं कि प्रकरण में प्रारम्भ में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 11 व 13 से 15 की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सनाढ्य ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17, 21, 23, 27 की ओर से श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया, परन्तु पश्चातवर्ती कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अपीलान्टगण को विधिवत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा प्रकरण में दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 वरदा की मृत्यु हो चुकी थी तथा मृत व्यक्ति के

विरूद्ध डिक्री पारित की गयी है। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 10–04–2018 को लिखित बहस भी पेश की गयी एवं कथन किया कि अपीलान्ट संख्या 2 अम्बालाल के नाम दावे की नकल नोटिस के साथ जारी नहीं हुई है तथा अपीलान्ट संख्या 1 पृथ्वीराज के नाम की कोई तामिल जारी नहीं हुई है। प्रकरण में वरदा की मृत्यु हो गयी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 हजारी की मृत्यु भी दिनांक 02–08–2013 को हो गयी है। मृत व्यक्तियों के विरूद्ध बिना नाम कायमी के दावे का निर्णय नलिटी है। ताईद में नजीरें आर.आर.डी. 1977 पेज 438 एवं आर.आर.डी. 2000 पेज 498 प्रस्तुत की।

→ प्रकरण में हम यह पाते हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदारों के मध्य हस्ब राजस्व रेकार्ड विभाजन किये जाने के लिए प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–07–2013 को जारी की गयी है, जिसमें अपीलान्टगण को क्या प्रभावी हानि हुई है, इस बाबत् कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक सुनवाई के नोटिस का प्रश्न है, न्यायिक प्रक्रिया का दोहन किये जाने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। विभाजन के वाद में वैसे भी कोई कार्यवाही अबेट नहीं होती है तथा इस प्रकरण में मृतक वरदा का सम्मन स्वयं अपीलान्ट संख्या 4 शंकर जो वरदा का पुत्र है, उसके द्वारा प्राप्त किया गया है तथा शंकर के द्वारा ही अपील मीमों एवं संशोधित उनवान पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यदि उसके पिता की दौराने दावा मृत्यु हुई तो उसके द्वारा सम्मन प्राप्त करते समय क्यों अवगत नहीं करवाया गया तथा न्यायालय में उपस्थित क्यों नहीं हुए, इस बाबत् कोई कथन नहीं है न ही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। इन परिस्थितियों में हम अपीलान्टगण को अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–07–2013 से किसी प्रकार से व्यथित नहीं पाते हैं तथा अपील सारहीन पाते हैं। हजारी की मृत्यु कब हुई है। इस बाबत् कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा जहां तक प्रतिवादी संख्या 2 वरदा की मृत्यु का प्रश्न है, इस बाबत् हमारे द्वारा उपर विवेचन किया जा चुका है। प्रकरण में मयाद के बिन्दु के बाद प्रारम्भिक डिक्री के सन्दर्भ में हम अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिन्दु नहीं पाते हैं, जिसके कारण उक्त भूमि का विभाजन राजस्व रेकार्ड अनुसार नहीं किये जाने में अपीलान्ट को कोई प्रभावी हानि हुई हो।

प्रकरण में पेश शुदा न्यायिक नजीरें इस प्रकरण में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वाद विभाजन का है, अतएवं एकतरफा हुए पक्षकारों की मृत्यु के कारण विभाजन का वाद अबेट नहीं होता है एवं तद्नुसार एकतरफा कार्यवाही के प्रतिवादी पक्षकारों की मृत्यु के कारण इस प्रारम्भिक डिक्री को हम नलिटि/अवैध नहीं मानते।

अतएवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 24/2015 बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रकरण में जहां तक द्वितीय अपील संख्या 25/2015 का प्रश्न है, जो प्रकरण संख्या 63/2014 में अंतिम डिक्री दिनांक 18–06–2015 के विरूद्ध दिनांक 18–08–2015 को की गयी है, अन्दर मयाद होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17, 21, 23, 27 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राठौड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 11 व 13 से 15 की ओर से वकील श्री मोहम्मद इरसाद जान ने वकालतनामा पेश किया, किन्तु बाद की कार्यवाहियों में भाग नहीं लिया। अतएवं वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण पर निर्णय करने की प्रार्थना की। वहीं वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः वक्त बहस दोहराया तथा यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवाड़े के दावे में अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है एवं प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, इसलिए अपीलान्टगण फाईनल डिक्री की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए तथा विभाजन प्रस्ताव राजस्व कर्मचारियों की मिली भगत से तैयार किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल के वृहतपीठ के आदेशानुसार न्यायालय द्वारा अधिकृत राजस्व अधिकारी द्वारा समस्त हितबद्ध पक्षकारों का सूचना दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा

विभाजन प्रस्ताव जो पटवारी द्वारा तैयार किया गया है, उसे प्रमाणित किया गया है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहतपीठ के निर्देशानुसार तहसीलदार स्वयं जो कि अधिकृत व्यक्ति हैं, उन्हें अपनी शक्तियों को उपप्रत्यायोजित करने का अधिकार नहीं है तथा सभी पक्षकारों को सूचित कर तहसीलदार स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। तद्नुसार माननीय राजस्व मण्डल के उपरोक्त विधिक निर्देशों की इस प्रकरण में अपालना हुई है एवं विभाजन प्रस्तावों के समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 63/2014 में पारित अंतिम डिक्री दिनांक 18–06–2015 अपास्त योग्य है।

अतएवं द्वितीय अपील संख्या 25/2015 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18–06–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार उभयपक्षों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में स्वयं विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर यदि उनकी कोई आपत्तियां हो तो उनका निस्तारण कर प्रकरण में विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 11–06–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

पृथ्वीराज पिता नानजी, जाति जाट निवासी मालीखेड़ा, तह0 रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य बनाम **दलीचन्द पिता सवाईराम, जाति जाट निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**24 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....22**.....माह.....**07**.....**2013**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**.....माह.....**04**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री अब्दुल बहाव**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री मुकेश द्विवेदी**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22–07–2013 यथावत रखी जाती**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**.11.**.....माह.....**.04.**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।